

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक A658 / वि.स. / स्टेशनरी / 2011 रायपुर,

दिनांक 29 मार्च, 2011

वर्दी कपड़ा क्रय हेतु निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

वर्ष 2010-2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में कर्मचारियों को निर्धारित गणवेश प्रदाय हेतु कपड़े के नमूने, ब्राण्ड, क्वालिटी नम्बर के साथ न्यूनतम स्पर्धात्मक दरों हेतु मुहरबन्द निविदाएँ सोमवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को अपराह्न 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं ।

निविदा की शर्तें, क्रय किये जाने वाले कपड़े का रंग, मात्रा एवं विस्तृत विवरण स्टेशनरी शाखा, विधान सभा सचिवालय, विधान नगर, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, रायपुर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है । विधान सभा की वेबसाईट www.cg.vidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है, खाली निविदा प्रपत्र शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2011 को अपराह्न 03.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं ।

किसी भी निविदा को मान्य या अमान्य करने का सर्वाधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को होगा ।

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

निविदा की शर्तें

01. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पक्ष में देय रूपये 25,000/- (अक्षरी पच्चीस हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, पे आर्डर, संलग्न करना अनिवार्य है; अमानत राशि का ड्राफ्ट तथा कपड़ों के नमूने, शेड कार्ड संलग्न नहीं होने पर ऐसी निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
02. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी; उनकी अमानत राशि आदेशित वर्दी कपड़ा का प्रदाय पूर्ण होने के उपरान्त प्रस्तुत देयक के भुगतान की तिथि से 15 दिवस की अवधि में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करने पर लौटाई जावेगी एवं इस अवधि का कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
03. जिन निविदाकारों की निविदाएँ स्वीकृत नहीं होगी; उनकी अमानत राशि बिना किसी ब्याज के निविदा चयन की तिथि से एक माह के अन्दर इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करने पर विमुक्त की जावेगी ।
04. निविदाकार को अपने प्रस्ताव में कम्पनी का ब्राण्ड, शेड नम्बर, क्वालिटी नम्बर, दर प्रति मीटर एवं छूट तथा समस्त करों आदि का उल्लेख स्पष्टतः करना आवश्यक होगा ।
05. निविदाकर्ता को वाणिज्यिक कर, विक्रय कर (जो भी लागू हो) का अद्यतन पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।
06. निविदाकर्ता को विगत तीन वर्षों का आयकर विवरणी दाखिला की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
07. निविदाकर्ता को सम्बन्धित फर्म का अधिकृत विक्रेता अद्यतन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा ।
08. निविदाकर्ता को अपनी प्रत्येक निविदा मुहरबन्द लिफाफे में "वर्दी कपड़ा प्रदाय हेतु दर" अंकित कर प्रस्तुत करना होगा ।
09. चयनित निविदाकार को प्रदाय ओदश प्राप्ति तिथि से 15 दिवस की अवधि में चयनित नमूना, ब्राण्ड, क्वालिटी का कपड़ा आदेशित मात्रा में सचिवालय में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा स्थिति में प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकेगा ।

(दो)

10. वर्दी कपड़ों की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार हैं; जिसमें कमी या वृद्धि संभावित है :

01. सुरक्षा अधिकारियों हेतु लाईट खॉकी कपड़ा - 12.00 मीटर
02. सुरक्षा कर्मचारियों हेतु डार्क खॉकी कपड़ा - 132.00 मीटर
03. वाहन चालकों हेतु डार्क ब्ल्यू कलर का पैण्ट का कपड़ा - 53.00 मीटर
04. वाहन चालकों हेतु नेवी ब्ल्यू कलर का शर्ट का कपड़ा - 94.00 मीटर
05. चतुर्थ श्रेणी पुरुष कर्मचारियों हेतु सफेद पैण्ट का कपड़ा - 190.00 मीटर
06. चतुर्थ श्रेणी पुरुष कर्मचारियों हेतु सफेद शर्ट का कपड़ा - 335.00 मीटर
07. चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों हेतु नीले बार्डर की सफेद साड़ी - 14 नग
08. चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों हेतु सफेद ब्लाऊज का कपड़ा - 14 मीटर
09. वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी पुरुष/महिला कर्मचारियों हेतु गर्म नीले कोट/सलूका का कपड़ा - 195.00 मीटर लाल ईमली

11. किसी भी निविदा को मान्य अथवा अमान्य करने का सर्वाधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।

मुझे उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता एवं फर्म की सील